राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या –755/2016/बूंदी

फ्रेन्ड्स एज्यूकेशन सोसायटी जरिये सचिव पारस जैन पुत्र श्री मोहनलाल
निवासी तलवंडी कोटा। .....प्रार्थी.

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, तालेड़ा।
2. सुशीला बाई पत्नि स्व. बाबूलाल
3. मुकेश पुत्र स्व. बाबूलाल
4. गुड्डी बाई पुत्री स्व. बाबूलाल
5. रिंकू बाई पुत्री स्व. बाबूलाल
6. रामेश्वर पुत्र स्व. बाबूलाल
   निवासी ग्राम भौपतपुरा तहसील व जिला बूंदी .....अप्रार्थी

निगरानी संख्या –756/2016/बूंदी

फ्रेन्ड्स एज्यूकेशन सोसायटी जरिये सचिव पारस जैन पुत्र श्री मोहनलाल
निवासी तलवंडी कोटा। .....प्रार्थी.

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, तालेड़ा।
2. मोत्याबाई पत्नी स्व. गणेश
3. रमेश पुत्र स्व. गणेश
4. फूलचन्द पुत्र स्व. गणेश
5. रामदयाल पुत्र स्व. गणेश
6. कालू पुत्र स्व. गणेश
7. लाडकंवर पुत्री स्व. गणेश
8. रूकमणी पुत्री स्व. गणेश
   निवासी ग्राम भौपतपुरा तहसील व जिला बूंदी .....अप्रार्थी

खण्डपीठ
राजीव चौधरी, सदस्य
ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :
श्री मुकेश दाधीच
अभिभाषक। .....प्रार्थी की ओर से.
श्री आर.के. अजमेरा
उप–राजकीय अभिभाषक। .....अप्रार्थी राजस्व की ओर से
(अप्रार्थी संख्या 2 से 8 अनुपस्थित)

दिनांक : 20.03.2018

1 उक्त दोनों निगरानी प्रार्थी द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक), कोटा (जिसे आगे **"अधीनस्थ न्यायालय"** कहा जायेगा) द्वारा क्रमशः प्रकरण सं. 4/2013 एवं 11/2013 में पारित निर्णय दिनांक 19.08.2015 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा–65 के तहत् प्रस्तुत किया गया।

2. उक्त दोनों निगरानियों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से सुविधा की दृष्टि से इनका निस्तारण एक ही आदेश द्वारा किया जा रहा है।

3. उक्त दोनों प्रकरणों के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दोनों विक्रय पत्र जिनका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, उप पंजीयक, तालेड़ा के समक्ष दिनांक

लगातार.....2.

18.06.2014 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गयी। दिनांक 18.06.2014 से आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.07.2014 नियत की गयी। किन्तु उक्त पत्रावली दिनांक 18.06.2014 के पश्चात् 21.07.2015 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश हुई और दिनांक 21.07.2015 को उक्त प्रकरणों में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। इस प्रकार दिनांक 21.07.2015 को तारीख पेशी नियत नहीं होते हुए भी एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, जो अविधिक है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.03.2015 की तारीख पेशी का नोटिस प्रार्थी संस्था के चौकीदार रतनलाल को तामीलशुदा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.03.2015 की तारीख पेशी नियत नहीं थी। उस तारीख पर प्रकरण सूचीबद्ध नहीं हुआ। अतः उपरोक्त समस्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि निर्धारित तारीख को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण पेश नहीं हुए जो कि एक गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है। अतः यह स्पष्ट है कि प्रार्थी संस्था को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस विधिवत रूप से तामील नहीं हुआ है। यह पीठ इस निश्चित मत की है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थी संस्था को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया।

13. अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 19.08.2015 द्वारा रेफरेंस के तथ्यों को स्वीकार किया है किन्तु अपने आदेश में रेफरेंस के आधारों के सम्बंध में तथ्यों की कोई विवेचना नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में तर्क, कारण व विवेचना का अभाव रहा है। अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि उसके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में उठाये गये बिन्दुओं की विवेचना करने के उपरांत ही उन्हें स्वीकार करने व न करने पर तथ्यों पर आधारित अपना मत प्रकट करना चाहिए था, जिससे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत होने पर सम्बंधित न्यायालय अपना निर्णय पारित कर सकेगी कि अवर अधिकारी/न्यायालय का निर्णय न्यायसंगत है अथवा नहीं। किन्तु वर्तमान निगरानी प्रार्थना–पत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही किया गया जिसे उचित नही कहा जा सकता है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स, कोटा बनाम मैसर्स शुक्ला एड ब्रदर्स (Civil Appeal No. Nil of 2010/S.L.P.(C)No. 16466 of 2009), date 15.4.2010) में पारित किये गये निर्णय के कुछ अंश उद्धरित किया जाना उक्त परिप्रेक्ष्य में समीचीन होगा :–

"…. To subserve the purpose of justice delivery system therefore, it is essential that the Courts should record reasons for its conclusions whether disposing of the case at admission stage or after regular hearing."

"A litigant has legitimate expectation of knowing reasons for rejection of his claim/payer. It is then alone, that a party would be in a position to challenge

लगातार.....6.

the order on appropriate grounds. As arguments bring things hidden and obscure to the light of reasons, reasoned judgment where the law and factual matrix of the case it discussed provided lucidity and foundation for conclusions or exercise of judicial dissertation by the Courts. Reason is the very life of law. When the reason of a law once ceases, the law itself generally cease. Such is the significance of reasoning in any rule of law. Giving reasons furthers the cause of justice as well as avoids uncertainty. As a matter of fact it helps in the observance of law of precedent. Absence of reasons on the contrary essentially introduces an element of uncertainty, dissatisfaction and give entirely different dimensions to the questions of law raised before the higher appellate Courts. When reasons are announced and can be weighed, the public can have assurance that process of correction is in place and working. It is requirement of law that correction process of judgments should not only appear to be implemented but also to have been properly implemented. Reasons for an order would ensure and enhance public confidence and would provide due satisfaction to the consumer of justice under our justice dispensation system."

14. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी संस्था के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आधार पर उप पंजीयक/राजस्व द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार कर लिया गया। रेफरेन्स स्वीकार किये जाने का एवं मुद्रांक कर व पंजीयन शुल्क निर्धारित किये जाने का कोई भी आधार आक्षेपित आदेश दिनांक 19.08.2015 में उल्लेखित उक्त समस्त तथ्यों व परिस्थितियों में इसी तथ्य को बल मिलता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सचेतन मस्तिष्क का उपयोग किये बिना यांत्रिक रूप से non speaking और non reasoned आदेश पारित किया गया। इस प्रकार युक्तिसंगत/विधिसम्मत आधार के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को विधिसम्मत आदेश की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.08.2015 अपास्त किये जाने योग्य है।

15. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विक्रेता को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1996 पेज 503 उनवान श्रीमती गीतरानी बनाम श्रीमती पार्वती देवी व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि विक्रय की गई सम्पत्ति के बाजार मूल्य के निर्धारण की जांच हेतु विक्रेता आवश्यक पक्षकार है। इस प्रकार राजस्थान मुद्रांक नियम, 2004 के नियम 65(2) के प्रावधानों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही है। उक्त प्रकरण राजस्थान मुद्रांक नियम, 2004 के नियम 65 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को प्रश्नगत सम्पत्ति के संबंध में विस्तृत जांच कर पुनः विधिनुसार गुणावगुण पर आदेश पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है। प्रकरण को प्रतिप्रेषित किये जाने से पक्षकारों को सुनवाई का भी समुचित अवसर प्राप्त होगा।

16. **वर्तमान निगरानी प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 2 की तामील नहीं हुई है किन्तु उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र में प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्राप्त होगा। अतः निगरानी प्रार्थना पत्रों में अप्रार्थीगण के**

लगातार.....7.

विरूद्ध किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। इसलिये वर्तमान निगरानी प्रार्थना पत्रों में उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध तामील नहीं होने से भी उसके हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभावकारित नहीं होता है।

17. परिणामस्वरूप प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर (मुद्रांक), कोटा का आदेश दिनांक 19.08.2015 अपास्त किया जाता है। उक्त प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर (मुद्रांक), कोटा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर राजस्थान मुद्रांक नियम, 2004 के नियम 65 की अनुपालना करते हुए पुनः विधिनुसार निर्णय पारित करें तथा पक्षकारों को यह आदेश दिये जाते है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.05.2018 को सुनवाई हेतु उपस्थित हो। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेशित किया जाता है कि विक्रेता को पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये जाये।

18. निर्णय सुनाया गया। उक्त निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जायें।

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य

20/03/18

(राजीव चौधरी)
सदस्य